प्रेस नोट थाना सिंधौली

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक- 11.06.2026

एसओजी/सर्विलांस सेल एवं थाना सिंधौली पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता— थाना सिंधौली क्षेत्र में महिलाओं से कुण्डल/झुमकी लूट एवं छिनैती की घटनाओं का सफल अनावरण, सीसीटीवी फुटेज, यक्ष ऐप एवं सर्विलांस की सहायता से चिन्हित दो शातिर जुड़वा अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के उपरान्त घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से लूटे गये जेवरात, नकदी, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, अवैध तमंचे व कारतूस बरामद।

पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर महोदय श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशानुसार जनपद में घटित कुण्डल, झुमकी आदि जेवरात छिनैती/लूट की घटनाओं की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदया के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के निकट पर्यवेक्षण में एसओजी/सर्विलांस सेल एवं थाना सिंधौली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा महिलाओं से कुण्डल, झुमकी आदि जेवरात लूटने वाले 02 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से माल मुकदमाती, अवैध शस्त्र, कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 27.05.2026 को वादिया श्रीमती सुशीला पत्नी श्यामाचरण निवासी ग्राम उमरसण्डा, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर प्रातः लगभग 10:00 बजे अपनी बहन श्रीमती बिटाना देवी पत्नी भिखारीलाल निवासी ग्राम आदमपुर उत्तरी थाना सिंधौली, शाहजहाँपुर के घर पैदल जा रही थीं। ग्राम नगला लाहौरी, थाना सिंधौली से पूर्व दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा उन्हें धक्का देकर उनके कानों से दो झुमकी छीन ली गई, जिससे उनके दोनों कानों में चोटें भी आई। उक्त घटना के संबंध में थाना सिंधौली पर मु0अ0सं0 238/2026 धारा 309(6) बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री आजाद यादव द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 30.05.2026 को वादी श्री हरिओम पुत्र पूरनलाल निवासी ग्राम कलक्टरगंज, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर अपनी पत्नी श्रीमती मिथलेश एवं पुत्री के साथ मोटरसाइकिल से कलान जा रहे थे। समय लगभग 15:45 बजे पैना बड़ा बिजलीघर के सामने, पुवायाँ-शाहजहाँपुर मार्ग पर पीछे से आए दो मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा उनकी पत्नी के दोनों कानों के कुण्डल छीनकर फरार हो गए। इस संबंध में थाना सिंधौली पर मु0अ0सं0 246/2026 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री सचिन कुमार द्वारा की जा रही है। उपरोक्त घटनाओं के अनावरण हेतु गठित टीमों द्वारा घटनास्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का परीक्षण किया गया तथा यक्ष ऐप एवं सर्विलांस के माध्यम से अभियुक्तों की पहचान एवं पतारसी/सुरागरसी की गई, जिसके आधार पर महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त हुई। दिनांक 11.06.2026 की रात्रि में संयुक्त पुलिस टीम द्वारा बाबा त्रिलोकीनाथ मंदिर तिराहा रिंग रोड थाना सिंधौली क्षेत्र में संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त घटनाओं में संलिप्त दो मोटरसाइकिल सवार बदमाशों के आने की जानकारी प्राप्त हुई। पुलिस टीम द्वारा उन्हें रुकने का संकेत दिया गया, किन्तु वे नहीं रुके तथा रिंग रोड से खन्नौत नदी की ओर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा पीछा किए

जाने पर अभियुक्तों ने खन्नौत नदी पुल से पूर्व खाली मैदान की ओर मोटरसाइकिल मोड़ दी, जहाँ मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई। पुलिस टीम को निकट आता देखकर तथा आत्मसमर्पण हेतु चेतावनी दिए जाने के बावजूद दोनों बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से कई राउंड फायर किए गए। इस दौरान एक गोली कांस्टेबल सुनील कुमार के हाथ को छूते हुए निकल गई तथा दूसरी गोली प्रभारी निरीक्षक सिंधौली की सरकारी वाहन के अगले शीशे पर लगी। पुलिस टीम द्वारा सिखाए गए तरीके से जमीनी आड़ लेकर स्वयं को सुरक्षित किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी तथा उन्हें घायल अवस्था में समय लगभग 02:25 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपने नाम—1. रामू उर्फ राम उर्फ रामचन्द्र पुत्र सीताराम, 2. श्याम उर्फ श्यामू पुत्र सीताराम निवासीगण ग्राम पिपरिया संजरपुर, थाना दियूरिया कला, जनपद पीलीभीत, सगे जुड़वा भाई, उम्र लगभग 25 वर्ष बताए। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन, नगद ₹3,000, दो जोड़ी कुण्डल, एक जोड़ी झुमकी, दो अवैध तमंचा .315 बोर, 03 खोखा कारतूस एवं 04 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किए गए। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा थाना पुवायाँ क्षेत्र में भी कुण्डल लूट की घटना कारित करना स्वीकार किया गया, जिसके संबंध में लूटे गए कुण्डल भी उनके कब्जे से बरामद किए गए हैं। घायल दोनों अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु जिला अस्पताल शाहजहाँपुर में भर्ती कराया गया। उक्त घटना के संबंध में थाना सिंधौली पर मु0अ0सं0 267/2026 धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. रामू उर्फ राम उर्फ रामचन्द्र पुत्र सीताराम निवासी ग्राम पिपरिया संजरपुर थाना दियूरिया कला जनपद पीलीभीत उम्र करीब 25 वर्ष।
2. श्याम उर्फ श्यामू पुत्र सीताराम निवासी ग्राम पिपरिया संजरपुर थाना दियूरिया कला जनपद पीलीभीत उम्र करीब 25 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

1. मु0अ0सं0 238/2026 धारा 309(6) बीएनएस, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0 267/2026 धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।

अभियुक्त रामू उर्फ राम उर्फ रामचन्द्र पुत्र सीताराम का आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0सं0 31/2020, धारा 188 भा0द0वि0, थाना दियूरिया कला, जनपद पीलीभीत।
2. मु0अ0सं0 151/2020, धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम, थाना दियूरिया कला, जनपद पीलीभीत।
3. मु0अ0सं0 153/2020, धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम, थाना दियूरिया कला, जनपद पीलीभीत।
4. मु0अ0सं0 891/2020, धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम, थाना पूरनपुर, जनपद पीलीभीत।
5. मु0अ0सं0 25/2021, धारा 379/411/413 भा0द0वि0, थाना दियूरिया कला, जनपद पीलीभीत।
6. मु0अ0सं0 26/2021, धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम, थाना दियूरिया कला, जनपद पीलीभीत।
7. मु0अ0सं0 38/2021, धारा 379/411/413 भा0द0वि0, थाना बिलसण्डा, जनपद पीलीभीत।
8. मु0अ0सं0 81/2021, धारा 379/411/413 भा0द0वि0, थाना बारादरी, जनपद बरेली।
9. मु0अ0सं0 141/2022, धारा 120बी/366/376/452/506 भा0द0वि0, थाना बरखेड़ा, जनपद पीलीभीत।
10. मु0अ0सं0 246/2022, धारा 392/411 भा0द0वि0, थाना दियूरिया कला, जनपद पीलीभीत।
11. मु0अ0सं0 33/2023, धारा 174ए भा0द0वि0, थाना दियूरिया कला, जनपद पीलीभीत।
12. मु0अ0सं0 66/2024, धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम एवं धारा 411 भा0द0वि0, थाना बरखेड़ा, जनपद पीलीभीत।
13. मु0अ0सं0 212/2024, धारा 392/411 भा0द0वि0, थाना बीसलपुर, जनपद पीलीभीत।
14. मु0अ0सं0 421/2024, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना बीसलपुर, जनपद पीलीभीत।

15. मु0अ0सं0 19/2026, धारा 309(4)/317(2)/317(5) बीएनएस, थाना बिलसण्डा, जनपद पीलीभीत।
16. मु0अ0सं0 16/2026, धारा 188 भा0द0वि0, थाना करेली, जनपद पीलीभीत।
17. मु0अ0सं0 53/2026, धारा 3(5)/309(4)/317(2) बीएनएस, थाना बरखेड़ा, जनपद पीलीभीत।
18. मु0अ0सं0 238/2026, धारा 309(6) बीएनएस, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
19. मु0अ0सं0 246/2026, धारा 304(2) बीएनएस, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
20. मु0अ0सं0 267/2026, धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।

अभियुक्त श्याम उर्फ श्यामू पुत्र सीताराम का आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0सं0 31/2020, धारा 188 भा0द0वि0, थाना दियूरिया कला, जनपद पीलीभीत।
2. मु0अ0सं0 24/2021, धारा 392/411/420/467/468/413 भा0द0वि0, थाना दियूरिया कला, जनपद पीलीभीत।
3. मु0अ0सं0 25/2021, धारा 379/411/413 भा0द0वि0, थाना दियूरिया कला, जनपद पीलीभीत।
4. मु0अ0सं0 27/2021, धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम, थाना दियूरिया कला, जनपद पीलीभीत।
5. मु0अ0सं0 38/2021, धारा 379/411/413 भा0द0वि0, थाना बिलसण्डा, जनपद पीलीभीत।
6. मु0अ0सं0 81/2021, धारा 379/411/413 भा0द0वि0, थाना बारादरी, जनपद बरेली।
7. मु0अ0सं0 132/2021, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना दियूरिया कला, जनपद पीलीभीत।
8. मु0अ0सं0 246/2022, धारा 392/411 भा0द0वि0, थाना दियूरिया कला, जनपद पीलीभीत।
9. मु0अ0सं0 141/2022, धारा 120बी/366/376/452/506 भा0द0वि0, थाना बरखेड़ा, जनपद पीलीभीत।
10. मु0अ0सं0 33/2023, धारा 174ए भा0द0वि0, थाना दियूरिया कला, जनपद पीलीभीत।
11. मु0अ0सं0 66/2024, धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम एवं धारा 411 भा0द0वि0, थाना बरखेड़ा, जनपद पीलीभीत।
12. मु0अ0सं0 212/2024, धारा 392/411 भा0द0वि0, थाना बीसलपुर, जनपद पीलीभीत।
13. मु0अ0सं0 234/2024, धारा 307 भा0द0वि0 एवं धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना बीसलपुर, जनपद पीलीभीत।
14. मु0अ0सं0 421/2024, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना बीसलपुर, जनपद पीलीभीत।
15. मु0अ0सं0 16/2026, धारा 188 भा0द0वि0, थाना करेली, जनपद पीलीभीत।
16. मु0अ0सं0 19/2026, धारा 309(4)/317(2)/317(5) बीएनएस, थाना बिलसण्डा, जनपद पीलीभीत।
17. मु0अ0सं0 53/2026, धारा 3(5)/309(4)/317(2) बीएनएस, थाना बरखेड़ा, जनपद पीलीभीत।
18. मु0अ0सं0 238/2026, धारा 309(6) बीएनएस, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
19. मु0अ0सं0 246/2026, धारा 304(2) बीएनएस, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
20. मु0अ0सं0 267/2026, धारा 109(1) बीएनएस एवं धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी का विवरण-

1. घटना मे प्रयुक्त एक मोटर साईकिल डिस्कवर
2. घटना मे प्रयुक्त एक मोबाईल फोन
3. नगद 3 हजार रुपये, दो जोडी कुण्डल, एक जोडी झुमकी
4. दो अवैध तमंचा .315 बोर
5. 03 खोखा व 04 जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. श्री रवीन्द्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर।

2. श्री मनोज कुमार, प्रभारी एसओजी/सर्विलांस शाहजहाँपुर मय टीम
3. श्री आजाद यादव, उप निरीक्षक थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर।
4. श्री सचिन कुमार, उप निरीक्षक थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर।
5. श्री हनुमान यादव, उप निरीक्षक थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर।
6. श्री आरिफ मोहम्मद, उप निरीक्षक थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर।
7. हे0का0 98 विकास अवस्थी, थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर।
8. हे0का0 62 होशियार सिंह, थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर
9. आरक्षी 1739 पुष्पेन्द्र कुमार, थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर
10. आरक्षी 2749 सुनील कुमार, थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर
11. आरक्षी 2272 राहुल बैसला, थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर।
12. आरक्षी 2840 मानवेन्द्र प्रताप सिंह, थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर।